143

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण
निगरानी – 4706/2018/शहडोल/भू.रा.

कृष्णदेव पुत्र भगवतदीन
निवासी ग्राम रूपौला कृषक ग्राम कोठी
तहसील जैतपुर जिला शहडौल (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. बागी पत्नी बालकरण पाव
2. मुन्नीबाई पुत्री बालकरण पाव

दोनों निवासी ग्राम कोठी तहसील जैतपुर
जिला शहडोल (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव एडवोकेट ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर, शहडोल (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 02/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 26.6.2018 के वियद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वादग्रस्त भूमि ग्राम कोठी तहसील जैतपुर में स्थित भूमि ख.नं. 230, 231, 306, 307, 308 रकवा क्रमशः 0.251, 0.336, 0.551, 0.275, 0.299 है. किता 5 कुल रकवा 1.712 है. भूमि आवेदक ने देवशरण से रजिस्टर्ड विक्रय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4706/2018/शहडोल/भू.रा.

कृष्णदेव विरूद्ध बागी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक कृष्णदेव की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित एवं अनावेदक बागी की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. आवेदक के द्वारा उक्त निगरानी अपर कलेक्टर शहडोल के द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 26-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 4. इस न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षण याचिका ग्राह्य करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है । 5. इस न्यायालय के द्वारा समय-समय पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन आगामी पेशीयों हेतु स्थगित किया गया है। 6. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार भू-राजस्व संहिता की धारा 50 में संशोधन करते हुए अपर कलेक्टर के आदेश की निगरानी को सुनने का अधिकार आयुक्त न्यायालय को दिया गया है । अतः निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल की ओर निगरानी के निराकरण हेतु प्रकरण अंतरित किया जाता है । 7. उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में उपस्थित हो, तब तक के लिए प्रकरण में आज दिनांक की स्थिति में यथास्थिति कायम (Status Quo Maintain) रखी जाये । 8. उभय पक्ष अभिभाषक सूचित हो । (आर.के. जैन) सदस्य 10.1.19	